सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 168/2012

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रामा पुत्र श्री धन्ना जाति भील निवासी कादोलाई तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. श्रीमति नौरती पत्नि स्व.रामलाल भील निवासी छोटाशाहपुरा तहसील केकडी
2. रमेश पुत्र श्री लादू जाति भील निवासी छोटाशाहपुरा तहसील केकडी
3. भंवरलाल पुत्र स्व. श्री लादू भील निवासी छोटा शाहपुरा तहसील केकडी
4. मु.घीसी बेवा धन्ना जाति भील निवासी छोटा शाहपुरा तहसील केकडी
5. मु.कान्ता पुत्री धन्ना भील निवासी छोटा शाहपुरा तहसील केकडी
6. उपपंजीयक एवं तहसीलदार महोदय,केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,92ए,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 11.5.18**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प प्रान्हेडां में पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम प्रान्हेडा ग्राम पंचायत प्रान्हेडा जिला अजमेर में स्थित में वाद वर्णित भूमि आराजी खाता स. 1102 , ख.न. 1853, 1853 कुल किता 2 कुल रकबा क्रमशः 0.40 ,0.30 है. कुल रकबा 0.70 है. किस्म बारानी प्रथम का पेश कर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी है। उक्त भूमि वादी ने प्रतिवादीगण न. 1–5 से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.2.2006 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया जिसका दस्तावेज विक्रयपत्र उपपजीयक केकडी द्वारा दिनांक 13.2.2006 को पुस्तक संख्या 1 की जिल्द स. 387 पृष्ठ स.117 क्र.स. 517/06 पर पंजीयन किया गया। उक्त भूमि वादी के पक्ष में सिविल कोर्ट द्वारा राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णय हो रखे है। उक्त भूमि केकडी से भराई पर मुख्य सडक के लगवा होने के कारण प्रतिवादी स. 1 से 5 की नियम खराब हो रही है तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 दिनांक 26.8.2012 से उक्त भूमि को पुनः अन्य व्यक्तियों को दुबारा बेचान करने पर उतारू है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण 1से 5 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीस. 1,3,5 की और से अधिवक्ता श्री पवनसिंह भाटी ने पावर पेश किया है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु दिनांक 28.5.2014 को जवाब बन्द किया । पत्रावली शहादत हेतु पत्रावली में 20 मौका दिये गये। परन्तु शहादत नहीं होने से पत्रावली में शहादत बन्द हेतु लिखा गया।

जवाब सरकार दिनांक 11.5.2018 को पेश हुआ । जवाब सरकार अनुसार वादग्रस्त आराजी की वर्णित खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.40 है. खसरान. 1853 रअि 0.30है. वर्तमान जमाबन्दी संम्वत 2069–72 के खाता स. 901 में माननीय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय की और से डिक्री से नामान्तकरण स. 3063 दिनांक 19.8.2015 से व तहसीलदार केकडी के आदेश क्रमांक/भू.अ./3182दिनांक 10.8.2015 से सिवायचक राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की गई । अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया । *वादी का दावा* वादी के ग्राम प्रान्हेडा ग्राम पंचायत प्रान्हेडा जिला अजमेर में स्थित में वाद वर्णित भूमि आराजी खाता स. 1102 , ख.न. 1853, 1853 कुल किता 2 कुल रकबा क्रमशः 0.40 ,0.30 है. कुल रकबा 0.70 है. किस्म बारानी 1 जो जर्ये नामान्तकरण 3063 दिनांक 19.8.2015 से राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज *होने से वादी का वाद खारिज योग्य बनता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 9.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी